न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—256/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/256)

1. प्रेमसिंह पुत्र छीतर आयु 45 वर्ष जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा तहसील नसीराबाद, अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. सूरज पुत्र छोगा
2. गोपीसिंह पुत्र छोगा
3. धर्मसिंह पुत्र छोगा
4. राघू पुत्र पन्ना
5. घीसा पुत्र मादू
6. गोरधन पुत्र देवा
7. बुद्धा पुत्र देवा
8. सुवा पुत्र मादू
9. शेरसिंह पुत्र उगमा
10. हरचंद सिंह पुत्र उगमा (फौत) जरिए वारिसान
    - 10/1 भंवरी पत्नि हरचंद
    - 10/2 शिवराम पुत्र हरचंद
    - 10/3 सोनू पुत्र हरचंद
    - 10/4 ज्ञानसिंह पुत्र हरचंद
    - 10/5 लक्ष्मी पुत्री हरचंद
11. छोटू पुत्र दल्ला
12. शक्तिसिंह पुत्र बीरमसिंह
13. हरिओम पुत्र नारायण
14. सोहनसिंह पुत्र रूपा
15. अमरसिंह पुत्र छायासिंह
16. पांचू पुत्र घीसा
17. अमरासिंह पुत्र देवीसिंह
18. शैतानसिंह पुत्र मंगला
19. विकास पुत्र शंकरसिंह
20. भवानीसिंह पुत्र धर्मसिंह समस्त जातिगण रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा तहसील नसीराबाद, अजमेर।
21. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद तहसील कार्यालय नसीराबाद।

रेस्पोडेंटस

22. हीरालाल पुत्र छीतर
23. मोहनसिंह पुत्र छीतर जातिगण रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा तहसील नसीराबाद अजमेर।
24. गंगादेवी पत्नि पांचूसिंह
25. भागचंद पुत्र गोकलसिंह
26. गोपीसिंह पुत्र रतनसिंह
27. निर्मला पुत्र पांचूसिंह
28. परमेश्वर पुत्र पांचूसिंह
29. रमेशसिंह पुत्र छोगासिंह

30. सेठा पुत्री पांचूसिंह समस्त जातिगण रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2023 राजस्व वाद संख्या 07/2022.

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, सीताराम रावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नवीन गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 10, 12 से 20
3. श्री अमृतपाल अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 11
4. श्री हनुमान प्रसाद अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 23
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 21
6. रेस्पोडेंट संख्या 22, 24 से 30 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 20.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 07/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 से 20 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया जाकर बहस की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.8.2023 को निर्णय पारित किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 07/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 22, 24 से 30 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर कथन किया कि अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण संख्या 7/22 के विरूद्ध अपील पेश की गई के पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध एक अन्य प्रकरण संख्या 27/2023 उनवान विजयपाल बनाम आपू के नाम से उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अप्रार्थी संख्या 56 के रूप में पक्षकार मुर्तिब कर नया आवेदन किया है कि प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जा रही है जो

प्रकरण संख्या 27/23 की आवेदन को रिकार्ड पर लिया जाकर सुनवाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रकरण के न्याय निर्णय में सुलभता के लिए पत्रावली आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 251 ए उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद की प्रमाणित प्रति रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। दस्तावेज पत्रावली का नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर प्रमाणित नकल दिनांक 19.9.2024 को प्राप्त कर अविलंब न्यायालय में पेश की गई है। जो रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है। उक्त दस्तावेज वादग्रस्त आराजीयात से संबंधित दस्तावेज है जो न्याय निर्णय में सहायक है। अतः उपरोक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात किसी भी रूप में न्यायिक दस्तावेज नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के उद्देश्य से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की जा रही है। प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में निर्णय हेतु किसी प्रकार सारवान है, स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज किसी भी रूप से लोक दस्तावेज नहीं है जिनकी सत्यता स्वयं प्रार्थी द्वारा साबित की जानी है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में केवल मात्र इस आधार पर निर्णय पारित किया गया कि तहसील भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 3778/2293 रकबा 0.15 में एकमात्र प्रस्तावित मार्ग है जबकि तहसीलदार नसीराबाद की रिपोर्ट दिनांक 27.05.2022 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि केवल मात्र अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 3778/2293 के दक्षिण दिशा की तरफ रास्ता प्रस्तावित किया गया जबकि अपीलार्थी की भूमि के उत्तर दिशा की तरफ भूमि हाल खसरा नम्बर 2294 स्थित है तथा अपीलार्थी की भूमि हाल खसरा नम्बर 3778/2293 व हाल खसरा नम्बर 2294 के बीच रास्ता विद्यमान है जो स्वयं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा मौके पर जाकर दिनांक 06.09.2022 को मौका पर्चा तैयार किया गया से स्पष्ट है तथा उक्त रास्ते से किसी को कोई ऐतराज नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के मौका पर्चा की अनदेखी करते हुऐ मौके पर विद्यमान रास्ता होने पर अपीलाधीन निर्णय प्रावधानों के विपरित जाकर पारित किया तथा अपीलांट के हाल

खसरा नम्बर में से रास्ता मांगने बाबत एक प्रकरण 27/2023 विजयलाल बनाम आपू व अन्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जो विचाराधीन है जिसका अंतिम रूप से निस्तारण होना बाकि है। रेस्पोडेंट ने कानूनी प्रावधानों के बाहर जाकर वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद होने के बावजूद गलत आधारों पर अपीलांट को हैरान व परेशान करने की गरज से अधीनस्थ न्यायालय मे 251 ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। क्यों कि अपीलांट व अपीलांट के भाईयों के सहखातेदारी में साबिक खसरा नम्बर 2293 था जिसके अपीलांट व उसके सहखातेदारों ने आपसी सहमति से बंटवारा करवा लिया साबिक खसरा नम्बर 2293 के बंटवारे के बाद तीन नम्बर बने, 2293, 3777/2293,3778/2293 बने अपीलांट व अपीलांट के भाईयों ने आपसी सहमति से बंटवारा करते समय खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 2293 के पूर्वी दिशा की ओर खसरा नम्बर 2294 से लगते हुए पूर्वजों के समय से 10 फीट का रास्ता अपीलांट व अपीलांट के सहखातेदारों द्वारा छोडते हुए बंटवारा किया था अपीलांट के पीछे के खातेदार अपीलांट व अपीलांट के सहखातेदारों द्वारा छोडे गए 10 फीट के रास्ते व खसरा नम्बर 2294 में स्थित 10 फीट रास्ते से ही पीछे के खातेदार पूर्वजों के समय से आवागमन करते है। दावाकृत भूमि में आवागमन हेतु हाल खसरा नम्बर 2294 में रास्ता विद्यमान होने एंव तारबंदी से बंद किये गये को खुलवाने की कार्यवाही नहीं की गयी तथा मौके पर रास्ता विद्यमान होने पर भी धारा 251 ए के प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट की भूमि हाल खसरा नम्बर 3778/2293 में से मौके पर चौडाई कम होने पर भी रास्ता प्रदान करने के आदेश जो भूमि हाल खसरा नम्बर 2218 पाल व 2218 से जुडे हुऐ खेत प्रार्थीगण के मकान निर्मित होने की मौका स्थिति को एंव राजस्व रेकार्ड की स्थिति को नजरअंदाज कर मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर गंभीर कानूनी भूल कारित की। जिससे अपीलधीन निर्णय निरस्त होने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 07/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत – आर0आर0टी 2016(1) पेज 649 हाई कोर्ट, आरआरटी 2014(1) पेज 401 रेवेन्यू बोर्ड, आरबीजे 2019 पेज 443 हाई कोर्ट, आरआरटी 2017 पेज 423 रेवेन्यू बोर्ड, आरआरटी 2016(1) पेज 440 रेवेन्यू बोर्ड भी प्रस्तुत किए गए है।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल भवानीखेडा, तहसील नसीराबाद के हाल खसरा नम्बर 2214, 2216, 2217, 2219, 2223, 2227, 2269, 2271, 2272, 2279, 2284, 2286, 2287, 2290, 2291, 2292, 2280, 2221, 2308, 2225, 2226 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण का सामूहिक कुआ खसरा नम्बर 2268 पर आने जाने के लिये पूर्वजों के समय से खसरा नम्बर 3778/2293, 3777/2293 व 2293 का उपयोग–उपभोग आपसी सहमती से कर रहे है। इस मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थीगण के पास अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। अतः

प्रार्थी को खसरा नम्बर 3778/2293, 3777/2293 व 2293 में से 20 फिट चौडा मार्ग उपलब्ध कराया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करते हुए प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए दिनांक 10.8.2023 को स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 251 ए के प्रार्थना पत्र की पालना में तहसीलदार, नसीराबाद ने मौका रिपोर्ट मंगाई तहसीदार ने स्वयं मौका रिपोर्ट नहीं बनाकर आईएलआर से मौका रिपोर्ट मंगाई आईएलआर द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 27.5.2022 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारों को नोटिस देकर पक्षकारों की उपस्थिति में नहीं बनाई गई है। उक्त मौका रिपोर्ट को विधिक नहीं माना जा सकता। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 27.5.2022 पर आपत्ति होने पर उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा स्वयं वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में दिनांक 6.9.2022 को बनाई गई उक्त मौका रिपोर्ट पक्षकारों की उपस्थिति में बनाई गई। उक्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि खसरा नम्बर 3777/2293, 2294 के मध्य मौके पर रास्ता विद्यमान होकर चालू है जो 60 फीट तक चालू है तथा आगे खातेदारों द्वारा तार लगाकर बंद किया हुआ है अधीनस्थ न्यायालय में दोनों मौका रिपोर्ट भिन्न भिन्न है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में मंगाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 27.5.2022 जो आईएलआर द्वारा बिना पक्षकारों की उपस्थिति में बनाई गई थी। जिसको आधार बनाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपीलांट के वादग्रस्त खसरा नम्बर में से धारा 251 ए में से रास्ते के आवेदन बाबत एक अन्य प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 27/2023 विजय बनाम आपू विचाराधीन है जिसका अंतिम रूप से निस्तारण होना बाकि है उक्त प्रकरण में उभयपक्षकार भी पक्षकार संयोजित है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 में बताया कि उक्त प्रकरण भी इन्हीं भूमियों के रास्ते बाबत है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है।

उपरोक्त विवेचनानुसार व अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में विधिक व तकनीकि त्रुटि कारित हुई है, क्यों कि उक्त प्रकरण से संबंधित एक अन्य प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या

07/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2023 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित सभी पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तीनों बिंदुओं यथा रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, वैकल्पिक मार्ग का अभाव व लघुत्तम मार्ग के बिंदुओं का अनुसरण करते हुए तथा वर्तमान प्रकरण व अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 27/2023 विजय बनाम आपू की वाद विषय वस्तु यदि समान है तो उक्त दोनों ही प्रकरणों को समेकित करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष दिनांक 10.09.2025 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर